

नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देशभर में अब तक नौ लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये गये हैं। नई दिल्ली में आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों की जाँच हुई है। उन्होंने कहा कि दो अक्तूबर तक जाँच की संख्या चार करोड़ को पार करने की संभावना है।

नशा निवारण

राज्य सरकार नीति आयोग, पी.जी.आई और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण व पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नशे की लत से प्रभावित युवाओं को समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने के लिए एक द्विआयामी रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में पांच नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार जन-जागरूकता प्रयासों के तहत पांच लाख 76 हजार से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है।

जीएसटी उत्सव

भाजपा द्वारा आज सोलन में जी.एस.टी. बचत उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को जी.एस.टी. में की गई कटौती के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. में कटौती के फैसले को सर्वहितकारी करार दिया और कहा कि इससे हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें कम कर जहां केंद्र सरकार ने जनता को लाभ प्रदान किया है वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सीमेंट के दामों में वृद्धि कर लोगों को परेशान करने का काम किया है।

जीएसटी-स्वास्थ्य सेवा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जी.एस.टी. बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जी.एस.टी. सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सुधार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कर की दर को कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं।

वन अधिकार

वन अधिकार अधिनियम 2006 से जुड़ी जटिलताओं को समझाने के लिए शिमला जिले के चौपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिनियम की बारीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि अधिनियम का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।
